गंभीर कानूनक संदर्भ लेल समिति क' गठन

एकटा अस्पष्ट, बहिष्कृत आ गैर-पारदर्शी समिति क' भारत क' तीन मौलिक आपराधिक कानून में सुधार करय लेल काज सौंपल गेल अछि। ई मुदा जरूरी अछि कि पैघ स्तर पर नागरिक आ सभ्य समाज अहि चिंतातुर विकास पर ध्यान देथि आ अपेक्षित तकाजा क' साथ अपन प्रतिक्रिया व्यक्त करथि।

बहुधा पूछय जायि वाला प्रश्न

1. आपराधिक कानूनक सुधार लेल कोन समिति थिक?

ई 5 सदस्यी समिति थिक जे कि 4 मई 2020 क' केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा गठित कएल गैलैक अछि जे भारतक आपराधिक कानून में सुधार करथि। अहिमें दिल्लीक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय क' रणबीर सिंह आ जीएस बाजपेयी, जबलपुरक धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयक प्रो बलराज चौहान, वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी आ सेवानिवृत्त सत्र न्यायाधीश जीपी थांजा, सम्मलित छैथ।

2. भारतक आपराधिक कानून सब सँ अहाँक कि तात्पर्य अछि?

भारतक आपराधिक कानून तीनटा प्रमुख कानून यानी कि भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता आ भारतीय साक्ष्य अधिनियमक उल्लेख करैत अछि। सरल शब्द में जे कहल जाय त समिति ओहि सब कानून में सुधार करैत जे, अपराध आ सजा (भारतीय दंड संहिता), आपराधिक कानून क' लागू करय लेल प्रक्रिया, जाँच या परख करय लेल बनल कानून में सुधार, (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) आ बेगुनाही या अपराध साबित करय लेल बनल आधार (भारतीय साक्ष्य अधिनियम), क' परिभाषित करैत थिक।

3. ई सब वास्तव में पुरान अछि, अंग्रेजों द्वारा बनौल गेल औपनिवेशिक कानून, अहि लेल ई त निक बात भेल जे अपना सब लोकैन अंततः अहि में सुधार क' रहल छी?

अपना लोकैन आपराधिक कानून में सुधारक विरोध नहीं क' रहल छी| सबजन अहि बात सँ सहमत छथि जे अपना लोकैन के अहि सब कानून क' समीक्षा आ वर्तमान समयक अनुसार अहि

में परिवर्तन करय क' आवश्यकता अछि| आपण सब के विरोध ओहि तरीका तक सीमित अछि जाही तरह के पूरा कवायद वर्तमान सरकार द्वारा कारैय जाय क' इरादा छथि।

4. तहिन समस्या सब की अछि?

समितिक संग मुद्दा सब क' संक्षेप में बताबैत

a. अहि प्रक्रिया लेल सीमित क' समय सीमा।
b. समिति क' गैर-प्रतिनिधि रचना।
c. समितिक कामकाज क' अपारदर्शी आ गैर-समावेशी तरीका।
d. समितिक बहुत व्यापक आ सामान्यीकृत जनादेश।
e. कानून आयोगक जनादेश किया नहीं डेल गेलथि?

5. समय सीमा क' संग की समस्या थिक?

समिति क' अहि सब 150 साल पुरान कानून सभक समीक्षा करय आ सुधार लेल सुझाव देबय लेल सिर्फ 6 महीना क' समय डेल गेल थिक, आ ओहो तखन, जखन कि देश एकटा गंभीर महामारी स जूझ रहल अछि। अहि 6 महीना में, समिति स अपेक्षा कैल जायत जे कि ओ न केवल तीनो कानूनों क' समीक्षा करथि, मुदा कमी आ परिवर्तनक क्षेत्रक पहचान करैत, अहि क' साथ सुधार सभक सिफारिश सेहो करैत, आ ई सुनिश्चित करैत कि उचित परामर्श और भागीदारी होय, जे कि असंभव थिक।

6. विशेष रूप स भारत में, जहां समिति सभक वर्ष दर वर्ष लैग जैत छथि, लेकिन कोनो रिपोर्ट सामने नहीं आबैत अछि, कि ई कम समय थिक? कि ई समय समिति क' कुशल नहीं बनौत?

अहि कानून सभक समीक्षा करय क' अकेला सुधारक सुझाव देंबय लेल केवल छह महीनाक समय पर्याप्त नहीं थिक। एकटा सादृश्य देबय लेल, एकटा छात्र क' एक दिनक नोटिस दय आ ई कहना जे हुनका अपन कॉलेज आ स्कूलक पूरा वर्ष के समस्त पाठ्यक्रमक लेल परीक्षा में शामिल होबय के छैन्ह या रात भर में एकता पुल क' निर्माण क' आदेश दय क' अंतिम समय में अहि क' उम्मीद केलाह! इस तथ्य क' साथ ई सब घटना देशव्यापी महामारी क' बीच भय रहल थिक, जहाँ 40, 000 + लोकनि सब अपन जान गंवैने थिक, बेसितर लोग तीव्र आर्थिक संकट में थिक, अदालत में गतिरोध आयल अछि, सार्वजनिक बैठक सभक अनुमति नहीं थिक,

वकील लोकनि रोजगार संकटक सामना करहल थिक आ बार एसोसिएशन काज नहीं क सकै छै। अहि समय ई सब कानून में अते पैघ पैमाना पर बदलाव करय क' तात्कालिकता क' समझय में कियो विफल नहीं थिक!

7. ठीक थिक, लेकिन सरकार कोनो समय समय सीमा बढ़ा सकैत थिक?

हां, सरकार समय बढ़ा सकैत मुदा ई निश्चित नहीं थिक। अहि क' अलावा, किया एकटा अवास्तविक समय रेखा थिक, जाही के साथ ई शुरू केल गेल थिक। समितिक जनादेश बहुत व्यापक थिक और अहिक सब लेल दूरगामी प्रभाव होयत, और ई सरकार क' तरफ स एकटा गंभीर प्रतिबद्धता क' मांग करैत थिक, जे 6 महीना क' अनुसूची में परिलक्षित नहीं होयत।

8. समितिक वर्तमान संरचना में कि गलत थिक? कि सब लोकेन बढ़िया पेशेवर नहीं छथि?

मुद्दा ई थिक कि समितिक हिस्सा क' बजाय के नहीं थिक अहि बारे में अधिक चर्चा अछि। समिति में महिला, दलित, आदिवासिय, ट्रांसजेंडर आ होमोसेक्सुयल क' व्यक्तिय लोकेन, खानाबदोश आ गैर-अधिसूचित जनजाति (NT-DNT), विकलांग व्यक्ति लोकेन (PWD), धार्मिक अल्पसंख्यक लोकेन के मामला लेल आपराधिक कानूनक बहुत कम प्रतिनिधित्व थिक। दिल्ली स परे चिकित्सक आ व्यक्ति लेल आपराधिक कानून अलग तरह स अनुभव कैल जायत अछि जतय अहाँ एकटा समाज में ठाड होयईत छी| उदाहरण लेल, एकटा महिला क' कोनो पुरुषक तुलना में रिपोर्ट दर्ज करय लेल पुलिस स्टेशन जाय में मुश्किल भौ सकय छैय। अहि तरह स ,कानूनक संबंध में एकटा ट्रांसजेंडर व्यक्ति, दलित, आदिवासी, एनटी-डीएनटी, पीडब्ल्यूडी या एक धार्मिक अल्पसंख्यक व्यक्ति द्वारा सामना कैल जा रहल मुद्द सभक समुदायक कोनो व्यक्ति द्वारा सर्वोत्तम रूप स स्पष्ट कैल जा सकैत अछि| अहि के अलावा, आपराधिक न्याय में प्राथमिक खिलाड़ी - ट्रायल कोर्टक वकील - जे आपराधिक कानूनक व्यावहारिक आ सच्चा समझ प्रदान करय लेल सबसे उपयुक्त छैथ, जेहेन कि ई स्थिर थिक, आ एकर कमी क' प्रतिनिधित्व नहीं केल गेल थिक। एकटा प्रभावी समीक्षा केवल तखन संभव अछि जहिन स्पेक्ट्रम के पारक आवाज़ सभक सुझाव देबय लेल मंच प्रदान कैल जाय।

9. लेकिन सार्वजनिक प्रश्नावलि सभक भेजय वाला समिति नहीं थिक, अहि लेल तमाशा करई वाला लोग अपन बात कही सकै थिक। की ई अहि समिति क' समावेशी आ सहभागी नहीं बनौल अछि?

नहीं, ई नहीं थिक। समितिक सदस्य होबय, सिफारिश क' मसौदा तैयार करय क' आ कोनो व्यक्ति के पास शक्ति राखय होबय, जे केवल समितिक प्रस्तुत करैत थिक, के बीच एकटा पैघ अंतर होयत अछि । अहि के अलावा, प्रश्नावली जरूरी सहभागी नहीं थिक। अखन तक जारी प्रश्नावली केवल अंग्रेजी में थिक आ केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला लोकनि के लेल ही सुलभ थिक। अहि प्रकार, अपने आप में ई एकटा पैघ प्रतिशत लोकनि के बाहर करैत थिक। अनुवाद प्रदान करय क' हड़बड़ाहट रहल थिक, हालांकि पहिले प्रश्नावली क' जवाब देबय क' समय पहिले ही बिना अनुवादक बीत चुकल अछि आ बहुत प्रमुख हितधारक लोकनि के भी अहि क' जानकारी नहीं थिक। केवल अंग्रेजी में तीनटा और प्रश्नावली जारी कैल गेल अछि। दोसर प्रश्नावलीक समय सीमा सेहो अगस्तक शुरुआत में समाप्त भय गेलथि। अहि क' अलावा, एक लिखित प्रश्नावली भागीदारी सुनिश्चित करय क' एक बहुत ही सीमित रूप छथि।सार्थक होय लेल , समीक्षा आ सुधार लेल, अहि में ना केवल कानून सभक समीक्षा करैय क' आवश्यकता अछि, बल्कि देश भर क' नागरिक सभक सामने आबय वाला चुनौति या मुद्दा सभक समीक्षा से हो आवश्यक अछि| भारत में हर चीज क' साथ, अनुभव में सेहो विविधता थिक, जे कि आपराधिक कानूनक साथ थिक। अहि के अलावा, महामारी क' दौरान अहि मुद्दा पर विस्तृत आ गहन जानकारी क' भेटनैय असंभव थिक। महामारी क' दौरान देश भर में भागीदारी परामर्श संभव नहीं अछि। परामर्श, अब तक, दिल्ली आ मुंबई जेहन महानगर सभक बाहरक किछू लोग तक सीमित अछि जे हितधारक लोकनि सभक एक छोट हिस्सा छैथ। अहि समिति क' महामारी में शामिल होबय लेल आग्रह किया कैल गेलथि?

10. समितिक जनादेश क' साथ कि समस्या अछि?

सीधा शब्द में कहल जाय त अपना लोकेन क' समितिक सही जनादेश नहीं पता अछि। न त समितिक संदर्भ क' शर्त आ न ही प्रस्ताव / अवधारणा नोटक' सार्वजनिक कैल गेल अछि, लेकिन प्रश्नावली जारी कैल जा रहल अछि। भागीदारी केवल एकटा अस्पष्ट विचार पर भ' रहल अछि कि समिति कि थिक?

11. अहि के बजाय अपने लोकेन कि सुझाव देबैय?

बस समय सीमा क' हटा डेल जाय, अहि प्रक्रिया क' अधिक समावेशी बनौल हेतु संविधान क' बदल देंल जाय, और जाखन तक महामारी समाप्त होयत या कम से कम कम नहीं भ', तखन तक कार्य क' स्थगित कदैल जाय। आपराधिक कानून सुधार क' वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं में सार्वजनिक परामर्श स पहिले विचार पत्र सभक प्रकाशन, विभिन्न हितधारक सभक साथ कार्यशाला आदि शामिल छथि, समितिक गठन करय स पहिले ई प्रमुख मुद्दा सब पर काज शुरू कैल जाय चाही। साथ के साथ, सरकार क' अपना लोकेन क' ई बताबैय क' आवश्यकता छथि कि कानून आयोग, कानूनक समीक्षा करय आ सुधारक सुझाव देबैय लेल बनौल गेल निकाय क' ई कार्य किया नहीं सौंपल गेल|

12. ई सब ठीक अछि, लेकिन हम कानूनी क्षेत्र स संबंधित नहीं छी, अहि लेल अहि स परेशान किया होबाक चाही?

अहिक सरल उत्तर ई थिक कि अहाँ भारतक नागरिक छी। चाहे अपराधक शिकार होय या आरोपी या शांतिपूर्ण समाज में रहय क' इच्छुक समाजक सदस्य ' रूप में, आपण सब आपराधिक कानून स प्रभावित छी। अहि लेल, जहन पैघ पैमाना पर समीक्षा आ सुधार कैल जेनाह छैथ, त अपना सब क' अहि प्रक्रिया क' जानय आ अहिमे भाग लेबय में सक्षम होबैय के अधिकार अछि। कियाकि आपण सब छी जे अहि सुधारित कानून द्वारा शासित होंयब।

जनहित में जारी: आपराधिक कानून सुधार समिति क' खिलाफ नागरिकजन